



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1407]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2011/आषाढ़ 30, 1933

No. 1407]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2011/ASADHA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

का.आ. 1680(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के 246.800 कि.मी. से 306.000 कि.मी. तक (पिंडवारा - राजस्थान/गुजरात सीमा) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण), नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का.आ. 1181(अ), तारीख 8 मई, 2009 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए, अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के 264.000 कि.मी. - 295.000 कि.मी. आबु रोड से पालनपुर/खिमाना के चार लेन के खण्ड के उपयोग के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक यानों पर निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर फीस उद्गृहीत और संगृहीत की जायेगी और वह प्राधिकरण को अपने पदधारियों या किसी ठेकेदार माध्यम से उक्त फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् ;

सारणी

क्रम सं.	यान का प्रकार	प्रति कि.मी. फीस की आधार दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के मालयान या मिनी बस	1.05
3.	बस/ट्रक	2.20
4.	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
5.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भा सं म) या अर्थ मूविंग उपकरण (अ मू उ) अथवा बहुधुरी यान (एमएवी) (चार से छह धुरी तक)	3.45
6.	बड़े आकार के यान (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

टिप्पण -

- आधार वर्ष 2007-28 के लिए स्थानीय गैर-वाणिज्यिक यानों के लिए मासिक पास की दर 150.00 (एक सौ पचास रुपये) होगी ।
- फीस का उदग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित पथकर प्लाजा के सामने ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जाएगा :

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि. मी.) में जिसके लिए फीस संदेय है
राजस्थान राज्य में जिला सिरोही, उन्दवारिया गाँव के निकट 270.25 कि. मी.	31.00

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/609/11-12/सी.ओ./जीसी-चित्तौड़गढ़-स्वरूपगंज-ओ.एम.टी.]

बी. बी. महापात्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2011

1680(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E), dated 26th April, 2012, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (of 1988), the Central Government has entrusted Km 246.800 – Km 306.000 (dwarra – Rajasthan/ Gujarat Border) in the State of Rajasthan of National Highway number 14 to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, and in supercession to the notification No S.O. 1181(E) dated 8th May, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees on category of mechanical vehicles specified in column (2) of Table, for the use of the four lane Abu Road - Palanpur/Khemana section from Km. 264.00- Km. 295.00 , at the base rate specified in column 3 of Table on the National Highway No. 14, in the State of Rajasthan and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE

Sl No	Types of vehicle	Base rate of fee per km (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck (Two Axles)	2.20
4.	Three Axle commercial vehicles	2.40
5.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four to six axles)	3.45
6.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Note :-

1. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 150.00 (One Hundred fifty Rupees) for the year 2007-08.
2. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following toll plaza for net length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll plaza (Chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable
Km 270.25 near village Undavariya in Sirohi District of Rajasthan	31.00

[F.No. NHAI/13013/609/11-12/CO/GC-Chittorgarh-Swaroopganj-OMT]

B. B. MOHAPATRA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

का.आ. 1681(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम केन्द्रीय सरकार ने कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465 (अ) तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 0.00 कि.मी. से 114.00 कि.मी. के पिंडवारा - उदयपुर खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के 246.80 कि. मी. से 306.00 कि. मी. के पिंडवारा से राजस्थान/गुजरात सीमा खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य में प्रचालन अनुक्षण और हस्तांतरण(ओएमटी) आधार पर मैसर्स उदयपुर पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 76, माल रोड, मऊ 453441, मध्य प्रदेश में है के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के 264.00 कि.मी. से 248.70 कि.मी., के स्वरूपगंज - पिंडवारा खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 0.00 कि.मी. से 104.724 कि. मी. के , पिंडवारा - उदयपुर खंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खंड कहा गया है) प्रचालन और अनुक्षण हेतु करार किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 819(अ) तारीख 23 मार्च, 2009, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 876(अ) तारीख 27 मार्च, 2009 तथा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1181(अ) तारीख 8 मई, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए फीस नीचे की सारणी I और सारणी II स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक यानों पर निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर फीस उद्गृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख जो भी पश्चात्वर्ती हो, से समाप्ति की तारीख तक फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात्:

सारणी -I

उक्त सेक्शन के उपयोग के लिये आधार फीस

क्रम संख्यांक	यान का प्रवर्ग	प्रत्येक एकतरफा यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रूपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी), हल्के माल यान या मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक	2.20
4.	भारी संनिर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान (तीन से छह धुरी)	3.45
5.	अधिक बड़े यान (सात या अधिक धुरी)	4.20

टिप्पण:-

1) फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जायेगा :-

खंड	लम्बाई	पथकर प्लाजा का अवस्थान
राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के 264.000 कि. मी. - 248.700 कि. मी. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के 0.000 कि. मी. - 57.000 कि. मी.	72.300 कि. मी.	राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के 11.20 कि. मी.
राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के 57.000 कि. मी. - 104.724 कि. मी.	47.724 कि. मी.	राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के 64.20 कि. मी.

2) पूर्ववर्ती फीस पुनरीक्षण की तारीख से छह महीने की अवधि के व्यतीत होने से पहले, फीस में पुनरीक्षण प्रभावी नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्र/13013/609/11-12/सी.ओ./जीसी-चित्तौड़गढ़-स्वरूपगंज-ओ.एम.टी.]

बी. बी. महापात्र, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2011

S.O. 1681(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government entrusted the stretch from Km 0.00-Km 114.00 of Pindwara - Udaipur section of National Highway No 76 in the State of Rajasthan and from Km 246.800 - Km 306.00 of Pindwara to Rajasthan/ Gujarat Border section of National Highway No 14 to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And Whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Udaipur Pathways Private Limited having its registered office at 76, Mall Road, MHOW-453441, Madhya Pradesh) for operation and maintenance of Swaroopganj- Pindwara section from km 264.00-Km 248.70 on National Highway No. 14 and Pindwara-Udaipur section from km 0.00 to km 104.724, on National Highway No. 76 (hereinafter referred to as the said section) on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highway Act, 1956, read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 819(E) dated 23rd March, 2009, S.O 876(E) dated 27th March, 2009 and S.O 1181(E) dated 8th May, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees on the type of mechanical vehicles specified in column 2 of the following Table I and Table II, at the base rate specified in column 3 thereof, for the use of the said section and authorises the said Concessionaire to collect and retain the actual fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, which ever is later, till the termination date, namely :-

2745 GI/11-2

TABLE - I

Base rate for the use of the said section.

S. No.	Category of vehicle	Base rate of fee per km per vehicle per one way trip (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck	2.20
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
5.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes:-

- The fee shall be collected at the following locations of Toll Plazas for the distance specified against each Toll Plaza:--

Stretch	Length	Plaza location
Km 264.000 to Km 248.700 of NH-14 and Km 0.000 to Km 57.000 of NH-76	72.300 Km	Km. 11.20 of NH-76.
Km 57.000 to Km 104.724 of NH-76	47.724 Km	Km. 64.20 of NH-76.

- The revision of fee shall not be effected until a period of 6 (six) months has elapsed from the date of preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/609/11-12/CO/GC-Chittorgarh-Swaroopganj-OMT]

B. B. MOHAPATRA, Director